बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

ज्ञाप संख्या– बी0सी0डब्लू0सी0–43/2014श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रेषक,

देव नन्दन यादव,
अपर सचिव–सह–सचिव ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक–

विषय :– बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के संगठनात्मक संरचना हेतु कुल 52 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेशः– स्वीकृत ।

बिहार राज्य में कृषि के बाद अधिकांश कामगार निर्माण क्षेत्र में नियोजित किए जाते हैं । निर्माण कामगार दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं एवं उनका नियोजन प्रायः अस्थायी होता है । निर्माण कामगार कई श्रम कानूनों से आच्छादित हैं, परन्तु इनके कार्यदशा को सुधारने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा दो अधिनियम बनाये गये हैं :–

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) अधिनियम, 1996

(ii) भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

प्रथम अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) नियमावली, 2005 अधिसूचित किया गया है । उपरोक्त द्वितीय अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया है जिसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नाम से जाना जाता है ।

(2) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान है । इसके तहत बिहार नियमावली में बोर्ड के गठन एवं इसके कार्यकलापों का प्रावधान किया गया है । उक्त परिपेक्ष्य में श्रम संसाधन विभाग के संकल्प संख्या –4 /एफ 1–302/2006श्र०नि०–865 पटना, दिनांक–18.02.2008 के द्वारा **बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** का गठन किया गया है तथा वर्त्तमान में बोर्ड का अस्थायी कार्यालय, श्रम संसाधन विभाग, विकास भवन में कार्यरत है ।

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का उद्देश्य राज्य के निर्माण कार्य में संलग्न कामगारों को पंजीकृत कर उनकी कार्यदशा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हितों की रक्षा के लिए उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है तथा उनके लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना है ।

(3) बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु निधि का प्रबंध भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार करना है । उपकर अधिनियम की धारा– 3 के प्रावधान के आलोक में पब्लिक सेक्टर, प्राईवेट सेक्टर तथा निजी क्षेत्रों से निर्माण लागत का 1% (एक प्रतिशत) उपकर (सेस) द्वारा वसूल कर निधि का प्रबंध करना है । वर्त्तमान में संग्रहित उपकर (सेस) से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा (i) बिहार शताब्दी ''गृह निर्माण, औजार एवं साईकिल'' क्रय हेतु विषेष अनुदान योजना, (ii) मातृत्व लाभ योजना, (iii) विवाह सहायता योजना, (iv) चिकित्सा सहायता योजना, (v) मृत्यु हितलाभ योजना, (vi) पेंशन योजना, (vii) पारिवारिक पेंशन योजना, (viii) विकलांगता पेंशन योजना, (ix) दाह संस्कार हेतु सहायता योजना का संचालन किया जाता है ।

(4) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 के नियम– 19 एवं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन), नियमावली 2005 के नियम 263 के आलोक में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पदाधिकारियों एवं अन्य न्यूनतम कर्मियों की सेवा अबतक मात्र अस्थायी प्रतिनियुक्ति के आधार पर ली जाती रही है । हाल के दिनों में बोर्ड के क्रियाकलापों में अपेक्षित प्रगति आयी है । बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं बोर्ड में संग्रहित निधि के प्रबंधन हेतु एक स्थायी प्रशासकीय संरचना विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

अतः बोर्ड के कार्यो में गति प्रदान करने के उद्देश्य से कर्मियों की सेवा बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु 52 पद सृजित किए जाते हैं, जो निम्नवत् हैः–

सृजित पदों की विवरणीः–

क्र० सं०	पदनाम	कार्यबल	नियुक्ति की प्रक्रिया	मानदेय / पारिश्रमिक	एक माह का मानदेय / पारिश्रमिक	एक वर्ष का मानदेय / पारिश्रमिक
1	परामर्शी, योजना	1	संविदा	रू॰ 50,000/– (रू० पचास हजार) मात्र	रू॰ 50,000/– (रू० पचास हजार) मात्र	रू॰ 6,00,000/– (रू० छः लाख) मात्र
2	परामर्शी लेखा एवं अंकेक्षण	1	संविदा	रू॰ 50,000/– (रू० पचास हजार) मात्र	रू॰ 50,000/– (रू० पचास हजार) मात्र	रू॰ 6,00,000/– (रू० छः लाख) मात्र
3	प्रबंधक (I.T)	1	संविदा	रू॰ 50,000/– (रू० पचास हजार) मात्र	रू॰ 50,000/– (रू० पचास हजार) मात्र	रू॰ 6,00,000/– (रू० छः लाख) मात्र

4	सहायक प्रबंधक (I.T)	1	संविदा	रु॰ 30,000/– (रू० तीस हजार) मात्र	रु॰ 30,000/– (रू० तीस हजार) मात्र	रु॰ 3,60,000/– (रू० तीन लाख साठ हजार) मात्र
5	Programme Executive	3	संविदा	रु॰ 20,000/– (रू० बीस हजार) मात्र	रु॰ 60,000/– (रू० साठ हजार) मात्र	रु॰ 7,20,000/– (रू० सात लाख बीस हजार) मात्र
6	लेखापाल–सह–भंडारपाल	1	संविदा	रु॰ 15,000/– (रू० पन्द्रह हजार) मात्र	रु॰ 15,000/– (रू० पन्द्रह हजार) मात्र	रु॰ 1,80,000/– (रू० एक लाख अस्सी हजार) मात्र
7	Programme Executive	38 (जिलों में पदस्थापन एवं सेस संग्रह की राशि पर आधारित)	संविदा	रु॰ 20,000/– (रू० बीस हजार) मात्र	रु॰ 7,60,000/– (रू० सात लाख साठ हजार) मात्र	रु॰ 91,20,000/– (रू० एकानवे लाख बीस हजार) मात्र
8	Office Attendant –सह– सेदशवाहक–सह– Multipurpose Worker	3	ऑउटसोर्सिंग	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अन्तर्गत कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मजदूरी अथवा रू० 7000/– (रूपये सात हजार) जो अधिक हो ।	रू० 21,000/– (रू० इक्कीस हजार) मात्र	रु॰ 2,52,000/– (रू० दो लाख बावन हजार) मात्र
9	सुरक्षा कर्मी	3	ऑउटसोर्सिंग	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अन्तर्गत कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित मजदूरी अथवा रू० 7000/– (रूपये सात हजार) जो अधिक हो ।	रू० 21,000/– (रू० इक्कीस हजार) मात्र	रु॰ 2,52,000/– (रू० दो लाख बावन हजार) मात्र
	कुल	52			रू० 10,57,000/–(दस लाख सन्तावन हजार मात्र)	रू० 1,26,84,000/–(एक करोड़ छब्बीस लाख चौरासी हजार मात्र)

(5) सृजित पदों पर चयन संविदा / ऑऊटसोर्सिंग के आधार पर की जायेगी ।

(6) संविदा के आधार पर किए जाने वाले नियुक्ति हेतु चयन में नियमानुसार बिहार सरकार की आरक्षण नीति को लागू किया जायेगा ।

(7) सृजित पदों का वार्षिक व्यय भार रू० 1,26,84,000/– (रूपये एक करोड़ छब्बीस लाख चौरासी हजार) मात्र होगा, जिसके लिए निधि का प्रबंध भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा–3 के प्रावधानों के आलोक में पब्लिक सेक्टर, प्राईवेट सेक्टर तथा निजी क्षेत्रों से निर्माण लागत का 1% (एक प्रतिशत) उपकर (सेस) वसूल कर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्ते विनियमन) अधिनियम की धारा– 24 (3) के आलोक में निर्धारित वित्तीय सीमा "प्राप्त सेस के विरूद्ध व्यय के 5% (पाँच प्रतिशत)" के अन्तर्गत किया जायेगा ।

(8) निधि व्यय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव की अनुमति से किया जायेगा ।

(9) उपर्युक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव–सह–सचिव ।

ज्ञापांक– बी0सी0डब्लू0सी0–43/2014श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– मंत्रिपरिषद की दिनांक– 03.02.2015 की बैठक में मद संख्या– 11 के द्वारा दिए गये अनुमोदन के आलोक में सरकार के विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव–सह–सचिव ।

ज्ञापांक– बी0सी0डब्लू0सी0–43/2014श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव–सह–सचिव ।

ज्ञापांक– बी0सी0डब्लू0सी0–43/2014श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी विभाग के विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव–सह–सचिव ।

ज्ञापांक– बी0सी0डब्लू0सी0–43/2014श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सभी सदस्य / राज्य सलाहकार समिति, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सभी सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव–सह–सचिव ।

ज्ञापांक– बी0सी0डब्लू0सी0–43/2014श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव / श्रमायुक्त के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/–
(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव–सह–सचिव ।

ज्ञापांक– बी0सी0डब्लू0सी0–43/2014श्र0सं0– 114 पटना, दिनांक– 3.3.2015

प्रतिलिपि– आई०टी० मनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

3.3.15
(देव नन्दन यादव)
अपर सचिव–सह–सचिव ।

D/ Hindi letter New 454